न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण

मुकदमा नम्बर /79/2021 दिनांक दायर 25.06.2021

1. ललित पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी आनन्दपुरी कॉलोनी हवा सडक जयपुर

वादी

बनाम

1. चौथी पत्नी स्व. नानन्छीलाल
2. श्रीराम पुत्र सीताराम
3. सत्यनारायण पुत्र नानछीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री सत्यनारायण माहेश्वरी वकील वादी
2. श्री भोजराज गुर्जर वकील प्रतिवारीगण1,3
3. श्री अरविन्दकुमार शर्मा वकील प्रतिवादी 2

दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

अन्तिम डिकी आदेश दिनांक 13/05/2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वकील वादी ने वादी की ओर से दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट. के तहत पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अर्जुनपुरा तहसील जमवारामगढ में कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 149 रकबा 0.6400 हैक्टेयर में स्थित हैं, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 संयुक्त खातेदार है जिसमें वादी का हिस्सा 2/3 भाग अनुसार तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/9 , प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/9 स्थित है जिसमें वादी अपने हिस्से पर तारबन्दी व पेड लगाकर काबिज काश्त है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है । प्रतिवादीगणों को विधिक रूप से बटवारा करवाने हेतु कहने पर साफ इन्कान कर दिया तथा सभी प्रतिवादी वादी की कब्जे काश्त की भूमि निर्माण करने हेतु आतुर हो गये तथा अपनी भूमि से अधिक भूमि पर दीगर व्यक्तियो को कब्जा सम्मलान हेतु आतुर है एवं बैचान करने पर आमादा हो रहे है। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत तकासमा डिकी किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 149 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, वाके ग्राम अर्जुनपुरा तहसील जमवारामगढ में वादी के कब्जे अनुसार व हो रखी तारबन्दी के अनुसार कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया जावें तथा वादी की भूमि का राजस्व रिकार्ड व लगान प्रतिवादीगण से अलग से कायम कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री भोजराज गुर्जर एडवोकेट उपस्थित। तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एडवोकेट अरविन्द शर्मा ने दिनांक 21.09.2021 को वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादीगण को बार बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त

भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर दिनांक 21.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का जवाब दावा बन्द किया गया। तथा वकील उभय पक्ष की वाद में बहस सुनी जाकर दिनांक 21.04.2022 को वाद में प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित कर तहसीलदार से कुर्रेजात के प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक एलआर/22/2065 दिनांक 07.06.2022 को कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाये गये जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सीपीसी एवं धारा 5 अवधी अधिनियम का दिनांक 20.09.2022 को पेश किया। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब न देकर दिनांक 27.09.2022 को सीधी बहस हेतु निवेदन करने पर उक्त प्रार्थना पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने से खारिज किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14.10.2022 कुर्रेजात आपत्ती पर दिनांक 15.11.2022 को वकील उभय की बहस सुनी जाकर कुर्रेजात आपत्ती स्वीकार कर पत्र क्रमाक कोर्ट/22/1846 दिनांक 1.12.22 द्वारा तहसीलदार से पुन कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार से पुनः प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जिसे दिनांक 12.03.2024 को शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्ष की पुनः प्राप्त कुर्रेजात पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व कुर्रेजात रिपोर्ट पर मनन करने के उपरान्त वादी का वाद स्वीकार करना उचित समझते है। अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अर्जुनपुरा तहसीलदार जमवारामगढ में वादग्रस्त कृषि खसरा नम्बर 149 रकबा 0.6400 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है ।

प्रस्तावित कुर्रेजात अनुसार खातेदार

क.सं	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म
1	चौथी पत्नी स्वं. नानछीलाल हि. 1/3, श्रीराम पुत्र सीताराम हि. 1/3, सत्यनारायण पुत्र नानछीलाल हि. 1/3 जाति ब्राहमण सा.देह.	149/1	0.2133	चाही 3
2	ललित पुत्र दुर्गा प्रसाद हि. पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. आनन्दपुरी कॉलोनी हवा सडक जयपुर खातेदार	149/2	0.4267	चाही3

तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग– अलग खाते दर्ज अंकित किया जावें साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि अपने अपने हिस्से में आई आराजीयात में काबिज रहे तथा एक दुसरे के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया जावें अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

डिक्री मुकदमा इबताई (रूल्स 18:121)

यालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण बइजलास श्री शरद तिवारी आर0ए0एस0

कदमा नम्बर /79/2021 दिनांक दायर 25.06.2021

लित पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी आनन्दपुरी कॉलोनी हवा सडक जयपुर

वादी

बनाम

1. चौथी पत्नी स्व. नानन्छीलाल
2. श्रीराम पुत्र सीताराम
3. सत्यनारायण पुत्र नानन्छीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री सत्यनारायण माहेश्वरी वकील वादी
2. श्री भोजराज गुर्जर वकील प्रतिवारीगण1,3
3. श्री अरविन्दकुमार शर्मा वकील प्रतिवादी 2

दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

अन्तिम डिक्री दिनांक 13/05/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री शरद तिवारी आर0ए0एस0 व हाजीर एडवोकेट श्री सत्यनारायण माहेवारी, अरविन्दकुमार शर्मा, भोजराज गुर्जर एडवोकेट मिनजातिब मुदालय रूबरूब बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अर्जुनपुरा तहसीलदार जमवारामगढ में वादग्रस्त कृषि खसरा नम्बर 149 रकबा 0.6400 हैक्ट. का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है

प्रस्तावित कुर्रेजात अनुसार खातेदार

क.सं	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा (हैक्टेयर मे)	किस्म
1	चौथी पत्नी स्वं. नानछीलाल हि. 1/3, श्रीराम पुत्र सीताराम हि. 1/3, सत्यनारायण पुत्र नानछीलाल हि. 1/3 जाति ब्राहमण सा.देह.	149/1	0.2133	चाही 3
2	ललित पुत्र दुर्गा प्रसाद हि. पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. आनन्दपुरी कॉलोनी हवा सडक जयपुर खातेदार	149/2	0.4267	चाही3

तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग– अलग खाते दर्ज अंकित किया जावें साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि अपने अपने हिस्से में आई आराजीयात में काबिज रहे तथा एक दुसरे के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा द्रेस प्रमाणित किया जावें अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा

मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प बजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय मुत.		
मिलन		

स्टाम्प अर्जी दावा

मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प बजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय मुत.		
मिलन		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण